

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव (53)
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

- क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

अनुरोधित

दिनांक :- 19/3/2020

स्थान :- कांकेर


(जे.आर.नायक)
मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर
सरकारी मोहर